

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
अपर सचिव।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक 04/6/2026

विषय: 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष-2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 का वित्तीय वर्ष-2025-26 में भारत सरकार से प्राप्त Health Sector Grant की कुल ₹7,47,97,64,000.00 (सात अरब सैतालीस करोड़ सन्तानवें लाख चौसठ हजार रुपये) मात्र की राशि को वित्तीय वर्ष-2026-27 में वितरित किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

2. 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में कुल ₹48,02,88,00,000.00 (अड़तालीस अरब दो करोड़ अठ्ठासी लाख रुपये) मात्र की अनुदान की राशि अनुशंसित है। उक्त के आलोक में विभागीय राज्यादेश संख्या 33(रा०) दिनांक 24.12.2021 द्वारा Health Sector Grant की राशि के वितरण, अंतरण, व्यय एवं योजना के क्रियान्वयन किये जाने से संबंधित आदेश/निदेश संसूचित है।

3. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं०- F.No.20(8)/FCD/2025-26 Release No. 205/2025-26, दिनांक-27.03.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष-2023-24 का भारत सरकार से प्राप्त Health Sector Grant मद के Support for Diagnostic Infrastructure in the Primary Health Care Facilities-Sub Centres (Rural) के लिए कुल ₹1,45,55,56,000.00 (एक अरब पैतालीस करोड़ पचपन लाख छप्पन हजार रुपये) की राशि वित्तीय वर्ष-2025-26 में विमुक्त की गई हैं। वित्तीय वर्ष-2025-26 में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-93(स्वी०), दिनांक-30.03.2026 द्वारा ₹82,29,46,000.00 (बयासी करोड़ उन्तीस लाख छियालीस हजार रुपये) मात्र की राशि बजट उपबंध के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की गई है एवं ₹63,26,10,000.00 (तिरेसठ करोड़ छबीस लाख दस हजार रुपये) मात्र की राशि की स्वीकृति किया जाना अवशेष है।

4. Health Sector Grant की उक्त अवशेष राशि एवं वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या F.No 20(9)/FCD/2025-26 Release No. 219/2025-26 एवं Release No. 229/2025-26, दिनांक 31.03.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 का वित्तीय वर्ष-2025-26 में भारत सरकार से विमुक्त कुल ₹7,47,97,64,000.00 (सात अरब सैतालीस करोड़ सन्तानवें लाख चौसठ हजार रुपये) मात्र की राशि की स्वीकृति निम्नरूपेण की जाती है:-

Raj

Raj

क्र०	वित्तीय वर्ष	मद	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1	2023-24	Support for Diagnostic Infrastructure in the Primary Health Care Facilities-Sub Centres (Rural)	63.2610
2	2024-25	Support for Diagnostic Infrastructure in the Primary Health Care Facilities-Sub Centres (Rural)	129.7154
3	2025-26	Building-less sub centres, PHCs, CHCs	555.00
Total			747.9764

सात अरब सैतालीस करोड़ सन्तानवें लाख चौसठ हजार रुपये मात्र

उक्त विवरणी के आलोक में वित्तीय वर्ष-2026-27 में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत भारत सरकार से प्राप्त Health Sector Grant की कुल **₹7,47,97,64,000.00 (सात अरब सैतालीस करोड़ सन्तानवें लाख चौसठ हजार रुपये)** मात्र की राशि को स्वास्थ्य विभाग द्वारा नामित State Nodal Agency/जिला परिषदों को उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. इस स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0008- वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र कार्यों के लिए सहायक अनुदान" के विषय शीर्ष '0008.31.05-सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों का निर्माण' से किया जायेगा। इसका मांग संख्या-16 विपत्र कोड- 16-2515001960008 है।

6. इस स्वीकृत राशि हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से CFMS के माध्यम से करते हुए Bank Of Baroda, SRI KRISHNAPURI, PATNA में 15 FC HEALTH SECTOR GRANT PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT के नाम से संधारित विभागीय खाता संख्या 18630100021845, IFSC Code BARB0SRIKRI में अंतरित कर PFMS के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग द्वारा नामित State Nodal Agency/जिला परिषदों को उपलब्ध करायेंगे।

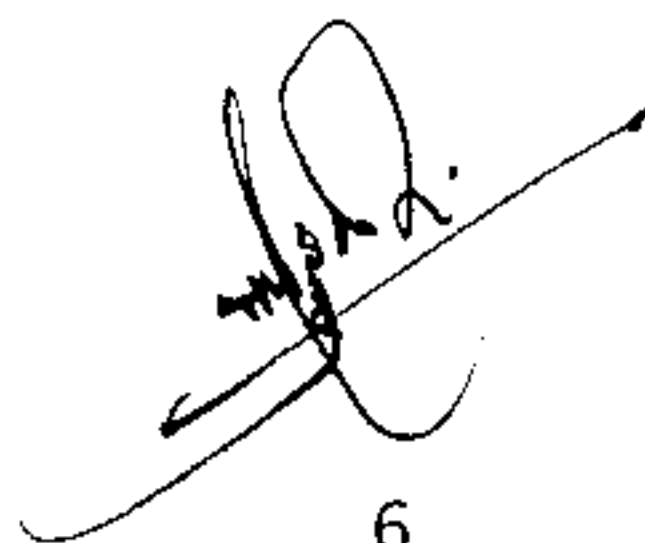
7. इस स्वीकृत अनुदान की राशि का उपयोग विभागीय राज्यादेश संख्या 33(रा०) दिनांक 24.12.2021 एवं वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 15(2)FC-XV/FCD/2020-25 दिनांक 16.07.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा।

8. 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत Health Sector Grant की वितरण के क्रम में यदि कोई त्रुटिपूर्ण (कम/अधिक) वितरण होता है, तो इस त्रुटिपूर्ण राशि का समायोजन इसके आगामी किस्त की राशि के वितरण में से किया जा सकेगा।

9. इस राशि की निकासी के लिए विभाग द्वारा अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।

Ravi

B. M.



10. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 9736 दिनांक 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम-271(ड) के आलोक में स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद का यह दायित्व होगा कि वे अपने अधीनस्थ संस्थाओं से 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृत एवं आवंटित Health Sector Grant की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन ससमय पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

11. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12. इस स्वीकृत्यादेश प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की सहमति संचिका संख्या 3प/15वें वि०आ०-14-07/2025 के पृष्ठ संख्या 36/टि० पर दिनांक 22.05.2026 को प्राप्त है।

13. इस स्वीकृत्यादेश प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या 3प/15वें वि०आ०-14-07/2025 के पृष्ठ संख्या 37/टि० पर दिनांक 27.05.2026 को प्राप्त है।

14. इस स्वीकृत्यादेश प्रस्ताव एवं प्रारूप पर माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या 3प/15वें वि०आ०-14-07/2025 के पृष्ठ संख्या 37/टि० पर दिनांक 01.06.2026 को प्राप्त है।

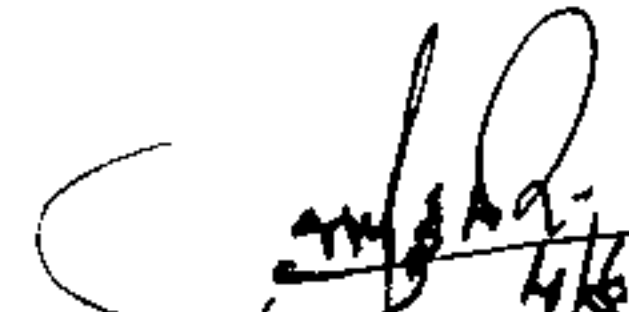
15. स्वीकृत्यादेश एवं इसके साथ संलग्न विवरणी के सभी पृष्ठ अपर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

विश्वासभाजन


(नजर हुसैन) 5/6/26

अपर सचिव

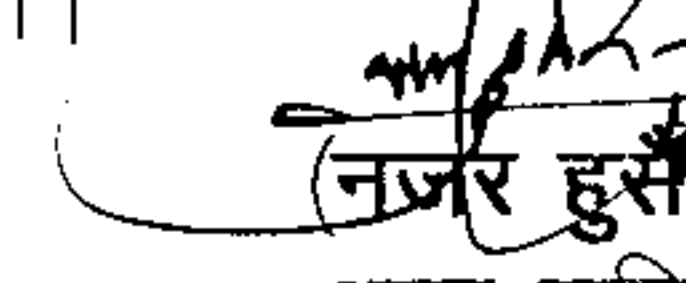
ज्ञापांक: 3प/15वें वि०आ०-14-07/2025/...../पं०रा० पटना, दिनांक 04/6/2026
प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(नजर हुसैन) 5/6/26

अपर सचिव

ज्ञापांक: 3प/15वें वि०आ०-14-07/2025/...../पं०रा० पटना, दिनांक 04/6/2026
प्रतिलिपि: संयुक्त सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग/लेखापाल/रोकड़पाल, पंचायती राज विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं प्रशाखा पदाधिकारी-06 को निदेश दिया जाता है कि आई०टी० मैनेजर एवं संबंधित प्रोग्रामर की सहायता से इस स्वीकृत राशि को PFMS के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग द्वारा नामित State Nodal Agency/जिला परिषदों को उपलब्ध करायेंगे।


(नजर हुसैन) 5/6/26
अपर सचिव
B. V.

ज्ञापांक: 3प/15वें वि०आ०-14-07/2025/...../पं०रा० पटना, दिनांक 04/6/2026
प्रतिलिपि: सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी सिविल सर्जन/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक: 3प/15वें वि०आ०-14-07/2025/...../पं०रा० पटना, दिनांक 04/6/2026
प्रतिलिपि: परियोजना निदेशक, SPRC/निदेशक, पंचायती राज विभाग/प्रभारी पदाधिकारी-02, 05, 06 एवं 07/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-06/लेखापाल/रोकड़पाल, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक: 3प/15वें वि०आ०-14-07/2025/...../पं०रा० पटना, दिनांक 04/6/2026
प्रतिलिपि: मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/सचिव, स्वास्थ्य विभाग/सचिव, वित्त विभाग/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक: 3प/15वें वि०आ०-14-07/2025/...../पं०रा० पटना, दिनांक 04/6/2026
प्रतिलिपि: सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय/सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली/सचिव, वित्त मंत्रालय व्यय विभाग, वित्त आयोग प्रभाग, ब्लॉक संख्या-11, 5वें तल, सी०जी०ओ० परिषद् बोधी रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक: 3प/15वें वि०आ०-14-07/2025/...../पं०रा० पटना, दिनांक 04/6/2026
प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक: 3प/15वें वि०आ०-14-07/2025/...../पं०रा० पटना, दिनांक 04/6/2026
प्रतिलिपि: IT Manager, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

(नजर हुसैन)
अपर सचिव